[न्या]यालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

[पी]ठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

[रा]जस्व वाद संख्या : 56/2018

[T]CMS NO. : 2018/00066

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. जोगाराम पुत्र अमराराम कुमावत निवासी–बेरा ईमी की बावड़ी ग्राम–निमाज तहसील–जैतारण जिला–पाली।		1. भैराराम पुत्र गीगाराम 2. ओटाराम पुत्र हापूराम 3. कालूराम पुत्र हापूराम जातियान–कुमावत, निवासीगण–बेरा ईमी की बावड़ी ग्राम निमाज, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.। 4. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जी जैतारण, जिला–पाली राज.। 5. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुबलदियो की ढ़ाणी, निमाज

<u>राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> <u>तारीख रजू:.20.02.2018</u>

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 13/02/2023**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 434 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम की आई हुई है। जिसमें वादी का 1/3 वां हक हिस्सा व अधिकार है, तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 का भी 1/3 वां हक हिस्सा व अधिकार है, एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का भी 1/3 वां हक हिस्सा व अधिकार है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त व शामलाती है जिसका अभी तक बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डरस के कोई बंट्वाड़ा नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारों के बीच संयुक्त व शामलाती राजस्व रेकर्ड में है लेकिन मौके पर बंट्वाड़ा होकर अलग अलग माठे भी की हुई है। लेकिन भूमि पक्षकारों के बीच संयुक्त व शामलाती दर्ज होने [illegible] बीच नापचौप व बंट्वाड़ा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है साथ ही [illegible] हक हिस्से की भूमि पर काली मिट्टी व देशी खाद आदि डाल[कर] उपजाऊ बनाना [illegible] है, लेकिन भूमि शामलाती होने की वजह से वादी उक्त कृत्य [illegible] रहा है साथ ही अपनी इस भूमि पर किसान क्रेडिट [illegible] रहा है जिससे भी वादी को भारी परेशानी हो रही है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण बिना बंटवाड़ा करवाये ही इस भूमि के विशिष्ट भू भाग को बेचान हस्तांतरण करने को आमादा है। जबकि बिना बंटवाड़ा करवाये प्रतिवादीगण अजनबी क्रेता को बेचान हस्तान्तरण करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sunda[r] Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:44 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

अधिकारी नहीं है। इस प्रकार से पक्षकारों के बीच नाप चौप व बंटवाड़ा को लेकर
होने की वजह से वादी ने प्रतिवादीगण से अपनी इस वादग्रस्त भूमि का बाई
स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने हेतु कई बार निवेदन किया लेकिन दिनांक 16.
2018 को प्रतिवादीगण ऐसा बंटवाड़ा करवाने से इन्कार हो गये। जबकि वादीगण
हक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाने के विधिक अधिकारी होने से यह वादपत्र
बंटवाड़ा का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। वादपत्र के पद संख्या
में वर्णित हिस्से माफिक वादी का हक हिस्सा व अधिकार इस वादग भूमि में आया
है। तथा उक्त भूमि मौके पर भी अलग से बंटी हुई है लेकिन राजस्व रेकर्ड
मलाती होने की वजह से प्रतिवादीगण भूमि की गाठ व नाप चौप को लेकर विवाद कर
है। एवं वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेकाबिज करने को आमादा है। तथा
नांक 16.02.2018 को प्रतिवादीगण ने वादी को एलानिया कथन भी किया है कि वह
शामलाति हिस्से की भूमि में से अपने हिस्से की भूमि के विशिष्ट भू भाग को
जनबी केता को बेचान हस्तांतरण भी करेंगे। जबकि प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य कतई
वैधानिक है तथा वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण को
स्तक्षेप व दालंदाजी करने का कोई हक व अधिकार नहीं होने के बावजूद भी
तिवादीगण ऐसा दृष्कृत्य करने को आमादा है। इस प्रकार यदि प्रतिवादीगण ने ऐसा
ष्कृत्य करने में सफल हुये तो वादी प्रतिवादीगण की ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध
करेंगे। जिससे विवाद होगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इस प्रकार यदि
प्रतिवादीगण ऐसा दृष्कृत्य करने में सफल हो जाते हैं। तो वादी को असीम क्षति होगी
जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं है। इस वजह से भी वादी प्रतिवादीगण के
विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत
स्थाई निषेधाज्ञा का बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी द्वारा शहादत पेश नहीं कर अन्तिम बहस किये जाने का आग्रह करने पर बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी में वादी का 1/3 वां हिस्स रेकर्डेड दर्ज है जिसका बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जिससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए माफिक राजस्व रेकर्ड वादी के 1/3 वें हिस्से का तकास्मा किये जाने का आदेश फरमावे।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी संवत् 2073–76 का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी संवत् 2073–76 में खसरा नंबर 434 रकबा [illegible] 05 बिस्वा में वादी जोगाराम पुत्र अमराराम का 1/3 वां हिस्सा दर्ज है, जि[illegible] वा[illegible] बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा चाहता है, लिहाजा माफिक राजस्व रेकर्ड वादी [illegible] वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा [illegible] समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी[illegible] की गई कि राजस्व मौजा निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 434 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sund
Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:44 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

या जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके बन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को ड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/1154 दिनांक 12/2019 और पत्रांक/कोर्ट/2022/742 दिनांक 26/07/2022 द्वारा आदेशित गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/20/2598 दिनांक 08/2020 और क्रमांक/भू0अ0/22/6298 दिनांक 10/10/2022 द्वारा प्राथमिक की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत सा0मि0 की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की सुनी गई। बहस के दौरान वकील धिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री या जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन या, बहस अधिवक्ता वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा पोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया ना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं राजस्व मौजा निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 434 रकबा 24–05 बीघा (3.9254 हैक्टेयर) किस्म बारानी प्रथम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगाान
1	जोगाराम पुत्र अमराराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	434/1	0.6502	चाही प्रथम	0.30
		434/03	0.6502	चाही प्रथम	
	योग	02	1.3004		0.30
2	कालूराम पुत्र हापूराम हि. 6381/25766, चम्पालाल पुत्र ओटाराम हि. 1595/25766, पांचुड़ी पत्नि ओटाराम हि. 1595/25766 बगदाराम पुत्र ओटाराम हि. 1595/25766, रामेश्वरलाल पुत्र ओटाराम हि. 1595/25766, भैराराम पुत्र गीगाराम हि. 13005/25766 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	434	2.5766	चाही प्रथम	0.62
3.	प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुबलदियो की ढ़ाणी, निमाज	434/4	0.0242	चाही प्रथम	0.01

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:44 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

जोगाराम पुत्र अमराराम हि. 1/3, कालूराम पुत्र हापूराम हि. 1/6, चम्पालाल पुत्र ओटाराम हि. 1/24, पांचुडी पत्नि ओटाराम हि. 1/24, बगदाराम पुत्र ओटाराम हि. 1/24, रामेश्वरलाल पुत्र ओटाराम हि. 1/24, भैराराम पुत्र गीगाराम हि. 1/3 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	434/2	0.0242	चाही प्रथम	0.01

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट भाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे श्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। क्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से म हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 13/02/2023 को सर–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

लास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

जोगाराम पुत्र अमराराम कुमावत निवासी-बेरा ईगी की बावड़ी ग्राम-निमाज तहसील-जैतारण जिला-पाली।

1. भैराराम पुत्र गीगाराम
2. ओटाराम पुत्र हापूराम
3. कालूराम पुत्र हापूराम जातियान-कुमावत, निवासीगण-बेरा ईगी की बावड़ी ग्राम निमाज, तहसील-जैतारण जिला-पाली राज.।
4. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जी जैतारण, जिला-पाली राज.।
5. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुबलदियो की ढाणी, निमाज

जस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई षेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए जस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 56/2018
निर्णय/ डिक्री दिनांक :- 13.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री रेश कुमार चौधरी, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर क्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी वेरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं राजस्व मौजा निमाज प्रथम, पटवार ल्का निमाज प्रथम, तहसील-जैतारण जिला-पाली राज में वादी एवं प्रतिवादीगण की ख़ातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 434 रकबा 24-05 बीघा 3.9254 हैक्टेयर) किस्म बारानी प्रथम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगाान
1	जोगाराम पुत्र अमराराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	434/1	0.6502	चाही प्रथम	0.30
		434/03	0.6502	चाही प्रथम	
	योग	02	1.3004		0.30
2	कालूराम पुत्र हापूराम हि. 6381/25766, चम्पालाल पुत्र ओटाराम हि. 1595/25766, पांचुड़ी पत्नि ओटाराम हि. 1595/25766 बगदाराम पुत्र ओटाराम हि. 1595/25766, रामेश्वरलाल पुत्र ओटाराम हि. 1595/25766, भैराराम पुत्र गीगाराम हि. 13005/25766 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	434	2.5766	चाही प्रथम	0.62

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:44 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुबलदियो की ढाणी, निमाज	434/4	0.0242	चाही प्रथम	0.01
जोगाराम पुत्र अमराराम हि. 1/3, कालूराम पुत्र हापूराम हि. 1/6, चम्पालाल पुत्र ओटाराम हि. 1/24, पांचुड़ी पत्नि ओटाराम हि. 1/24, बगदाराम पुत्र ओटाराम हि. 1/24, रामेश्वरलाल पुत्र ओटाराम हि. 1/24, भैराराम पुत्र गीगाराम हि. 1/3 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	434/2	0.0242	चाही प्रथम	0.01

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खत्म हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/02/2023 को जारी किया गया ।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	09-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	02-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	04-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	15-00	मिजानः–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री ... जरिये दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:44 IST
Reason: SelfAttested